## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 07/2022 (डूँगरपुर डिक्री)**

1. फुलशंकर उर्फ काउडा पिता कला मीणा, निवासी सतीरामपुर, तहसील डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर (राज.)
2. नगीन पिता कला मीणा, निवासी सतीरामपुर, तहसील डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्रीमती कमला उर्फ लाली पिता कला मीणा, निवासी सतीरामपुर, तहसील डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. मोहनलाल पिता कमजी कोटेड, निवासी सतीरामपुर, तहसील डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर (राज.) मृतक के विधिक वारिसान् कायम मुकाम –

   1/1 – काउडा पिता मोहन कोटेड मीणा, निवासी सतीरामपुर

   1/2 – राकेश पिता मोहन कोटेड मीणा, निवासी सतीरामपुर

   1/3 – श्रीमती कमला पत्नी मोहन कोटेड मीणा, निवासी सतीरामपुर

2. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूँगरपुर, जिला डूँगरपुर।

..................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. डूँगरपुर
दि॰ 21–06–2013 प्र0सं0 69/2006

–––/–––

उपस्थित :– 1. श्री कमलेश पंड्या अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री शिवशंकर कटारा अभिभाषक रेस्पो. सं. – 1/1 से 1/3

–––::–––

**निर्णय** **दिनांक 11–06–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं अवैध निर्माण ध्वस्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 508/47/1 रकबा 1 बीघा, 509/173 रकबा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 510/1 रकबा 1 बीघा ग्राम सतीरामपूरा तहसील डूँगरपुर मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी एक व दो का कोई हक हिस्सा नहीं होने के बावजूद अवैध अतिक्रमण के इरादे से लडाई झगडा करते है तथा आराजी नंबर 508/47/1 रकबा 1 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:50 IST
Reason: SelfAttested

को जबरन हड़पना चाहते है एवं जबरन नींव खोदकर मकान निर्माण का कार्य शूरू कर दिया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें तथा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जावें।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2013 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 14/2017 प्रस्तुत की, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28–08–2018 को बेरून मयाद होने से खारिज कर दी गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2013 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 27–05–2022 को प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवशंकर कटारा उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश पंड्या उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो पत्रावली के रिकॉर्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 29–04–2022 को होने पर नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जानबूझकर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही हो गई थी, जिससे उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रिकॉर्ड पर नहीं हैं। अतः प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट की माता प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती कंकु बाई अनपढ़ व विधवा महिला होने से कानून की जानकारी नहीं थी जिससे वह अपना जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर सकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो को प्रदर्श नहीं कराये जाने से पढ़ने योग्य नहीं माना है, किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट/वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेंट/वादी ने स्वयं के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधीकारी को प्रस्तुत की जो दिनांक 28–08–2018 को मयाद बाहर होने से खारिज कर दी। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर काफी पुराना मकान बना हुआ है, किन्तु वादी/रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2013 की आड मे अपीलान्टगण को विवादित भूमि व मकान से बेदखल करना चाहते है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायायल का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2013 को निर्णय पारित करते हुये रेस्पोडेंट/वादी द्वारा चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई, किन्तु बेदखली बाबत् कोई आदेश नहीं दिया गया। इस कारण रेस्पोडेंटगण के पिता वादी मोहनलाल ने अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत की, जो दिनांक 28–08–2018 को मयाद बाहर होने से खारिज कर दी गई। रेस्पोडेंट अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल करना चाहते है एवं अपना प्रभाव पूर्ण पक्ष रखना चाहते है। अपीलान्टगण द्वारा गलत आधारो पर अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:50 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2016 को वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28–08–2018 को बेरून मयाद होने से खारिज कर दी गई। वादी/रेस्पोडेंट का वाद मुख्यतः 188 के संबंध मे जिसके मुख्य बिंदू अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होना चाहिए, लेकिन वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श नहीं कराये जाने से वादी खातेदार होना साबित नही हुआ। मौके पर वादी काबिज है अथवा नहीं इस संबंध मे भी कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि मौके पर उसका कब्जा होना भी आवश्यक है। वादी/रेस्पोडेंट ने कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की है, जबकि दूसरी ओर अपीलान्ट विवादित आराजी पर अपना मकान बना होना बताते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि वादी/रेस्पोडेंट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर उसका कब्जा है तथा प्रतिवादी द्वारा उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त बिंदुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

10. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 69/2006 में पारित निर्णय दिनांक 21–06–2013 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचनो को दृष्टिगत रखते हुये खातेदार एवं कब्जे के संबंध मे परीक्षण कर साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:48:50 IST
Reason: SelfAttested